न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
63 / 2025	01 / 04 / 2025	30/1/2026

बद्री प्रकाश आर्य पुत्र श्री आनन्दीलाल जाति खटीक निवासी लुहावद तहसील पीपल्दा हाल निवास प्रेमनगर थर्ड कोटा तह. लाडपुरा जिला कोटा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय, तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

अप्रार्थी

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री कमल कुमार बंसल एड0।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवम् कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 2569 / 2783 रकबा 1.30है, वाके ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.) मे स्थित है। प्रार्थी उक्त कृषि आराजी पर निरन्तर रुप से काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी की उक्त आराजी सीमाज्ञान व पत्थरगढी को लेकर विवाद होने लगा है। कानूनन ऐसी सीमा संबधित विवादो का विनिश्चय के लिये लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 111 व 128 मे प्रावधान दिये गये है। जिसके तहत सीमाओ से संबधत विवाद की दशा मे भूमि अभिलेख अधिकारी जहा तक सम्भव हो विधमान सर्वेक्षण नक्शो के आधार पर या ऐसें नक्शे उपलब्ध ना हो तो वास्तविक संक्षेप जॉच करके यह सुनिश्चित करेगा कि कौनसा पक्षकार कब्जे का सर्वोत्तम हकदार है और तब तद्नुसार सीमा निश्चित करेगा। प्रार्थी की उक्त आराजी के सीमाज्ञान व पत्थरगढी को लेकर कि विवाद होने लगा है। प्रार्थी को अपनी उक्त आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी नही होने से अपनी कृषि आराजी पर काश्त करने तथा विकसित करने मे काफी कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है। जिसके कारण प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 2569 / 2783 रकबा 1.30है, वोके ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा की पैमाईश व सीमाज्ञान करवा कर पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार महोदय, तहसील पीपल्दा को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 2569 / 2783 रकबा 1. 30है. वोके ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा की पैमाईश व सीमाज्ञान करवाकर पत्थरंगढी से सीमा चिन्ह निर्धारित कियो जावे।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री कमल कुमार बंसल एड0 ने पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर तहसीलदार पीपल्दा को तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा गया। मुताबिक जवाब सरकार के अनुसार ग्राम इटावा जमाबन्दी संवत 2074–77 खाता सं0 214 आराजी ख0नं0 2569 / 2783 रकबा 1.30है0 किस्म बारान तृतीय भूमि खातेदार रामचरण आर्य पुत्र रामप्रताप आर्य हिस्सा पूर्ण जाति खटीक निवासी बोरदा के खाते दर्ज रिकॉर्ड है उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान हेतु मौके पर पहुंचे मौका देखा गया। परन्तु मौके पर उक्त खसरा नं0 के आस–पास की भूमि उबड–खाबड, नदी, नाले व पास में आबादी बसी होने के एवं मुस्तकिल बिन्दू नहीं होने के कारण सीमाज्ञान नहीं किया जा सका।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मुताबिक तहसील रिपोर्ट सीमाज्ञान संभव नहीं है। अतः पत्थरगढी आदेश नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

इटावा जिला कोटा